

प्रेषक

प्रवीर कुमार,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- |  |  |
|--|--|
| 1- निदेशक,<br>स्थानीय निकाय,<br>उ0प्र0, लखनऊ।      | 3- प्रबन्ध निदेशक,<br>उत्तर प्रदेश जल निगम,<br>लखनऊ। |
| 2- समस्त नगर आयुक्त,<br>नगर निगम,<br>उत्तर प्रदेश। | 4- निदेशक,<br>सी. एण्ड डी. एस.<br>उत्तर प्रदेश लखनऊ  |

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ:: दिनांक 14 जनवरी 2013

विषय: नगर विकास विभाग के नियंत्रणाधीन स्थानीय नागर निकायों/उपक्रमों में शासकीय वाहनों के दुरुपयोग को रोके जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में यह तथ्य आये हैं कि शासकीय वाहनों को मुख्यालय एवं अधिकारियों के घर पर खड़ा करने के निर्देशों के बावजूद नगर विकास विभाग के नियंत्रणाधीन स्थानीय नागर निकायों एवं उपक्रमों में वाहन चालक शासकीय वाहन को अपने घर लेकर जाते हैं और उसे अपने घर पर खड़ा करते हैं, जिसके कारण शासकीय वाहनों के दुरुपयोग की सम्भावना एवं वाहन मद में सरकारी खर्च पर बढ़ोत्तरी हो रही है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर विकास विभाग तथा उससे सम्बन्धित समस्त स्थानीय नागर निकाय/उपक्रमों के शासकीय वाहनों को वाहन चालकों द्वारा विभाग के मुख्यालय पर अथवा अधिकारियों के आवास पर ही खड़े किये जायेंगे। वाहन चालक शासकीय वाहन को अपने घर नहीं ले जायेंगे और न ही उसे अपने घर पर खड़ा करेंगे।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,




(प्रवीर कुमार)  
प्रमुख सचिव

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1— निजी सचिव, मा० मंत्री जी, नगर विकास विभाग को मा० मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 2— निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री जी, नगर विकास विभाग को मा० राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 3— निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग।
- 4— निजी सचिव, समस्त विशेष सचिव/उप सचिव/अनुसचिव, नगर विकास विभाग।
- 5— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
( यशवंतराव )  
विशेष सचिव